to (c) Under the Memorandum of Understanding signed between the Government of India and the Government of the United States of America for implementation of the Indo-US Vaccine Action Programme, Article V provides for formulating a joint assurance of protection of the Rights and Welfare of Human Subjects of Research in the Indo-US Vaccine Action Programme taking into account the laws and regulations in force in both the countries from time to time and clearance from the respective regulatory authorities (like the Drugs Controller etc. in India) would be obtained prior to the testing of the vaccines. This assurance was to be mutually agreed upon and obtained as Annex I within 90 days of the signing of the MOU. This Annex I to the MOU has been finalised and has been appended to the MOU.

Under Article VI, in order to assure that the rights of both countries are protected, an accord on Intellectual Property, Copyrights, and Patent Provisions was to be developed and agreed upon and appended as Annex II to the MOU within ninety days of signing of the MOU. This Annex II has not yet been finalised and mutually agreed to between the two governments. The discussion is on between the two governments for finalising this Annex II. The same will be appended to the MOU as and when finalised by the two governments.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत अभ्यार्थी

3162. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987–88 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी कार्यालयों आदि में कितने पदों के लिये नियुक्ति हेतु अभ्यार्थियों की संस्तुति की गयी है ;

(ख) क्या इन अभ्यार्थियों की नियुक्ति उनके पदों पर कर दी गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है, इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1986–87 में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने उक्त वर्ष के दौरान कुल 12179 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफ़ारिश की थी जबकि वर्ष 1987–88 के लिए ऐसी ही अनन्तिम संख्या 11768 है ।

(ख) तथा (ग) आयोग द्वारा सिफ़ारिश किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित विभागों/कार्यालयों द्वारा की जाती है । इस प्रकार की गई नियुक्तियों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध नहीं है ।

प्रादेशिक सेना के अपर महानिदेशक द्वारा निधियों का रख-रखाव

3163. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्र प्रादेशिक सेना के अपर महानिदेशक को अपनी वैयक्तिक हैसियत से निधि का रख-रखाव करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह निधि कब खोली गई थी और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निधि में जमा की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस निधि से शीर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) इस निधि से धनराशि का व्यय किए गए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?